न्यायालय अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

सरकार बनाम पप्पाराम वगै0

मुकदमा नम्बर 78 / 2026 / एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

30.03.2026	पत्रावली पेश हुई। खाद्यसुरक्षा अधिकारी उपस्थित। अप्रार्थीगण पप्पाराम पुत्र बुधाराम जाति कुमावत व दौलतसिंह पुत्र धनसिंह मैसर्स– बद्री जोधपुर भण्डार, वन विभाग के पास बस स्टैण्ड, खण्डेला को जारी नोटिस पर बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.10.2025 को निरीक्षण के दौरान अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय किये जा रहे पनीर का नमूना संख्या एफ–5275 लिया जाकर जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना Sub-standard का पाया गया। जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना अमानक स्तर का पाये जाने पर अप्रार्थी को उक्त नमूना की पुनः जांच हेतु लिखे जाने पर अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना एवं आवेदन पेश नहीं किया गया। इस प्रकार जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना अमानक स्तर का पाये जाने के पश्चात अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर परिवाद प्रस्तुत किया गया है। अतः पत्रावली का गहन अवलोकन करने एवं खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना Sub-standard का पाये जाने पर प्रार्थी को भविष्य में अमानक रहित खाद्य पदार्थो का विक्रय किये जाने की हिदायत के साथ एवं खाद्य्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थीगण के 13,000/– रूपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये, वरना अप्रार्थीगण के विरूद्व इस अधिनियम के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। 30/3/26 न्याय निर्णायक अधिकारी एवं (अपर जिला मजिस्ट्रेट) सीकर (राज.)